[16/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2466]

डाक की पूर्व-अदायगी के बिना
भेजे जाने के लिए अनुमत
पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
-04-भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537] भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2005—कार्तिक 9, शक 1927

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 32-एफ. 1-43-2005-अठारह-3.—राज्य शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1-2004-छ, दिनांक 3 फरवरी, 2004 के अनुसार पवित्र घोषित नगर उज्जैन (जिला उज्जैन) स्थित निम्न धार्मिक स्थलों/मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों को, जिनकी चतुर सीमाएं धार्मिक स्थलों/मंदिरों के समक्ष दर्शायी गई हैं, पवित्र क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है:—

(1) श्री महाकालेश्वर मंदिर—

उत्तर दिशा—सराफा स्कूल के बाहर महाकाल थाना रोड एवं मराठा बाखल.

पूर्व दिशा—महाकाल चौराहे (डॉ. मोहिनी व्यास) तक यादव धर्मशाला, कतिया बाखल शामिल करते हुए रूद्रसागर तक.

दक्षिण दिशा—महाकाल प्रसूति गृह, सुलभ काम्पलेक्स एवं इसके पास की बस्ती तथा मैदान शामिल करते हुए रूद्रसागर तक.

पश्चिम दिशा—महाकाल प्रवचन हाल बड़े गणपति मंदिर अन्य क्षेत्र शामिल करते हुए रूद्रसागर तक.

(2) श्री हरसिद्धी मंदिर—

उत्तर दिशा—पाटीदार श्री राम मंदिर को शामिल करते हुए रामघाट मार्ग तक.

पूर्व दिशा—रूद्रसागर होते अन्य क्षेत्र तक.

दक्षिण दिशा—मीणा समाज धर्मशाला दातार अखाड़ा गौंड समाज बस्ती होते हुए चारधाम मंदिर तक.

पश्चिम दिशा—गुरू अखाड़ा, बंगीपुरा, संतोषी माता मंदिर, सिद्धाश्रम होते हुए नदी स्थित रामघाट तक.

(3) श्री चिन्तामण गणेश मंदिर—

उत्तर दिशा—मंदिर कम्पाउण्ड के बाहर शकुन्तला द्वार तक.

पूर्व दिशा—विकास प्राधिकरण की धर्मशाला होते हुए रेलवे स्टेशन तक.

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिण दिशा—सुलभ कॉम्पलेक्स, स्टेशन जाने वाले मार्ग को शामिल करते हुए सुन्नदा आटा चक्की के आस-पास के मकान को शामिल करते हुए.

(4) श्री शनि मंदिर—

उत्तर दिशा—घाट को शामिल करते हुए शिप्रा नदी तक.

पूर्व दिशा—उज्जैन से इंदौर जाने वाले रोड नदी पर स्थित बड़े पुल तक.

दक्षिण दिशा—कृषि भूमि.

पश्चिम दिशा—घाट को शामिल करते हुए खान नदी के किनारे तक.

क्र. 33-एफ-1-43-05-अठारह-3.—राज्य शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1-2004-छ, 3 फरवरी, 2004 द्वारा प्रदेश के अमरकंटक नगर (जिला-अनूपपुर) को पवित्र घोषित किया गया है, जिसके अनुक्रम में यह अधिसूचित किया जाता है कि अमरकंटक नगर के क्षेत्रांतर्गत परम्परागत रूप से मदिरा, मांस-मछली, अंडा, मुर्गा-मुर्गी तथा अन्य मांसाहारी वस्तुओं के विक्रय तथा पशुओं के वध पर प्रतिबंध यथावत् रहेगा.

क्र. 34-एफ-1-43-05-अठारह-3.—राज्य शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1-2004-छ, क 12 फरवरी, 2004 द्वारा प्रदेश के ओंकारेश्वर नगर (जिला-खण्डवा) को पवित्र घोषित किया गया है, जिसके अनुक्रम में यह अधिसूचित । जाता है कि ओंकारेश्वर नगर के क्षेत्रांतर्गत (नगर के जवाहर वार्ड क्र. 15 स्थित ग्राम डुहिवया को छोड़कर) परम्परागत रूप से मदिरा, -मछली, अंडा, मुर्गा मुर्गी तथा अन्य मांसाहारी वस्तुओं के क्रय-विक्रय तथा पशुओं के वध पर प्रतिबंध यथावत् रहेगा.

क्र. 35-एफ-1-43-05-अठारह-3.—राज्य शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1-2004-छ, क 3 फरवरी, 2004 के अनुसार पवित्र घोषित नगर महेश्वर (जिला-खरगौन) स्थित निम्न धार्मिक स्थलों/मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों की चतुर सीमाएं धार्मिक स्थलों/मंदिरों के समक्ष दर्शायी गई है, पवित्र क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है:—

(1) गांतगेश्वर मंदिर—

उत्तर—अयोध्या बस्ती, टकडीपुरा आबादी.

दक्षिण—नर्मदा नदी.

पूर्व—नर्मदा मार्ग (नया घाट).

पश्चिम—नर्मदा रीट्रीट.

(2) राज राजेश्वर एवं काशी विश्वनाथ मंदिर—

उत्तर—अहिल्या विहार.

दक्षिण—नर्मदा नदी.

पूर्व—येशला मार्ग.

पश्चिम—देवपूजन संग्रहालय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रघुवीर श्रीवास्तव, अपर सचिव.

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन

अधिसूचना

दिनाक

[illegible] धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मन्त्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ [illegible] के ठहराव कमांक [illegible] अधिसूचित किया जाता है कि उज्जैन शहर के [illegible] निर्णय अनुसार [illegible] घोषित किया जाता है :

1. क्षिप्रा नदी का त्रिवेणी घाट संगम से कालियादेह महल का पश्चिमी क्षेत्र जो कि नगर निगम सीमा में सम्मिलित है । तथा पूर्व दिशा में नदी से 100 मीटर तक का क्षेत्र जिसमें नदी के किनारे के समस्त घाट तथा मंदिर भी सम्मिलित होंगें ।

2. कालियादेह पाग से क्षिप्रा नदी से पूर्व की ओर आगर रोड गाग कमेड से होते हुए कृषि उपज मंडी चौराहा तथा पश्चिम की ओर अंकपात मार्ग पार का क्षिप्रा नदी का क्षेत्र

3. चिंतामण गणेश मंदिर, महाकाल मंदिर , हरसिद्धि मंदिर तथा त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर के आसपास 200 मीटर तक का क्षेत्र

4. [illegible] अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले धार्मिक स्थलों पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार धार्मिक [illegible] विधियाँ यथावत [illegible]

5. चिंतामण गणेश मंदिर यद्यपि नगर निगम सीमा क्षेत्र मे नही है किंतु नगर निगम सीमा से [illegible] होने के कारण इसके आसपास 200 मीटर क्षेत्र को भी पवित्र क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है

मुख्य मार्ग जो पवित्र क्षेत्र में सम्मिलित होगे ।

1. महाकाल मंदिर से कोट मोहल्ला [illegible]
2. हरिफाटक पुल – बेगम बाग – कोट मोहल्ला – महाकाल
3. महाकाल मंदिर – हरसिद्धि – रामघाट
4. छत्री चौक – गोपाल मंदिर – पटनी बाजार – गुदरी चौराहा – महाकाल मंदिर
5. हरिफाटक पुल – इंदौर गेट – देवास गेट – चामुण्डा – टॉवर चौराहा
6. महाकाल मंदिर – कोट मोहल्ला – चौबिस खंबा – गुदरी – कहारवाडी – रामघाट [illegible]

उपरोक्त मार्गों के मध्य से 50 मी. [illegible] होगी।

उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी ।

(विनोद शर्मा)
आयुक्त
नगर पालिक निगम

अनुभाग अधिकारी
[illegible]
भोपाल

Scanned with OKEN Scanner